

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1223] No. 1223] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2015/ज्येष्ठ 22, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2015/JYAISTHA 22, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2015

का.आ. 1558(अ).—िनम्निलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप करने या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

गौटाला अत्रम वन्यजीव अभ्यारण्य (जिसे इसके बाद अभ्यारण्य कहा जायेगा) 20° 14' 00" से 20° 27' 29.78" उत्तरी अक्षांश और 74° 53' 30.78" से 75° 16' 40" पूर्वी देशांतर के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जलगाँव जिले में स्थित है और 260.61 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

गौटाला अत्रम वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद और नासिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संरक्षण एकक है 'और 30 से अधिक स्तनपायी प्रजातियों जिसके अंतर्गत अनुसूची एक प्रजातियाँ जैसे भेडिया, तेंदुआ, रीछ, काला हिरण, चार सींगों वाला हिरण, प्रवासी प्रास्थिति की 20 प्रजातियों सहित पक्षियों की 210 से अधिक प्रजातियां और विभिन्न प्रकार के सरिसृपों, उभयचरों, मछलियों आदि का आश्रय स्थान है;

और गौटाला अत्रम वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पारिस्थितकीय संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में गौटाला अत्रम घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को गौटाला अत्रम घाट वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:--

- 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 448.45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में गौटाला अत्रम वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है और ऐसे जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध-। पर दिया गया है।
 - (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र में औरंगाबाद और जलगाँव जिलों के 70 गावों में फैला हुआ है।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिंदुओं के निदेशांकों के साथ **उपाबंध-॥** पर है।
 - (4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध-III** पर उपाबद्ध है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के प्रभावी प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, आंचलिक महायोजना ऐसी रीति में तैयार की जाए जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के भी अनुरूप हैं।
 - (2) उक्त योजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
- (3) आचंलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उनमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन ;
 - (iii) नगर विकास ;
 - (iv) पर्यटन ;
 - (v) नगरपालिक ;
 - (vi) राजस्व;
 - (vii) कृषि;

- (viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
- (ix) सिंचाई, और
- (x) लोक निर्माण विभाग
- (4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों, पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न किया हो। आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों के अधिक दक्ष और पारिस्थिकीय अनुकूल होने में संबर्द्धनकारी होगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभर प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे पार्कों और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झीलों और अन्य जलाशयों का अभ्यकंन करेगी।
- (7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीविका सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगी।
- 3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले, उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--
- (1) भू-उपयोग पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रं. सं. 10, सं. 16, सं. 22, सं. 28 और सं. 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात्:-

- (i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) वर्षा जल संचय, और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के 'विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

- (2) प्राकृतिक स्रोतों -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) पर्यटन (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।
- (জ) पर्यटन महायोजना पर्यटन तिभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।
 - (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी परिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और वह पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
 - (ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण गौटाला अत्रम वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ;
 - परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्रों की सीमा के 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसार्टों की स्थापना को पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व निश्चित और पदाभिहित क्षेत्रों में और पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।
 - (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) ध्विन प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य संरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगी।
 - (9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
 - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;
 - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;
 - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी
 पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या
 भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) यानीय परिवहन परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) औद्योगिक ईकाइयां -

- (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी सिवाए विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों जो समय-समय पर लागू नियमों के तहत प्रतिशिद्ध नहीं होगें।
- (ख) जल, बायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की स्थापना प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में अनुज्ञात नहीं जाएगी ।
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिः	द्ध क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयों का तत्काल प्रभाव से प्रतिषेघ है सिवाय प्रमाणिक स्थानीय निवासियों की घरेलू आव यकताओं के संदर्भ में घरों के निर्माण

	-	अथवा मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई, और व्यक्तिगत उपभोग के लिए ईट अथवा टाइल्स के निर्माण के लिए ।
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका
		(सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम
		भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट
		याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत
		सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वथा होंगे।
2.	आरा मिलों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए या प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोज् <u>न</u> ों और सिचाई परियोंजनाओं की स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जलाशयों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान या गर्म वायु गुब्बारों द्वारा अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय)।
9.	नए काष्ठ आधारित उपयोग	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
		परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार तब तक बने रहेंगे। जब तक उन्हें लागू नियमों के तहत प्रतिषिद्ध न किया जाए।
विनिया	मेत क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को अनुज्ञात नही किया जाएगा सिवाय पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी अधिभोग संबंधी आवास के।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप	(क) संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
		परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि

	A SOCIAL DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PAR	में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
		(ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यकलापों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम पर रखा जाएगा।
		(ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
		(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना अभिवर्णनों का अनुसरण किया जाएगा।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है	(क) केवल भूमि अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण अनुज्ञात होगा।
		(ख) औद्योगिक, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूजल के निष्कर्षण जिसमें वह मात्रा भी है जिसे निष्कर्षित किया जा सकता है के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी।
	1 0	(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।
		(घ) किसी भी स्रोत से जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी
	- +	है, को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण	(i) भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय लागू किए गए अनुसार किए जाएंगे ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	प्राकृतिक जलाशयों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	A Company of the Comp	

सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारि देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं अनुज्ञात होंगे। 23. वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण 24. वायु और यानिक प्रदूषण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। 25. दुकानदारों द्वारा पोलिथीन वैगों का उपयोग लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। 26. कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। अनुज्ञात कार्यकलाप 27. स्थानीय समुदायों द्वारा लाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन 28. वर्षा जल संचयन सक्रिय लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जायेगा। 29. जैविक खेती / सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। 30. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना 31. कृटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। ग्रीमीण कारीगर आदि भी हैं			
24. वायु और यानिक प्रदूषण 25. दुकानदारों द्वारा पोलिथीन बैगों का उपयोग 26. कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। 37. स्थानीय समुदायों द्वारा लाई जा रही कृषि और वागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन 28. वर्षा जल संचयन 29. जैविक खेती 30. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना 31. कृटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	22.		सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण
 25. दुकानदारों द्वारा पोलिथीन बैगों का उपयोग 26. कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । 37. स्थानीय समुदायों द्वारा लाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन 28. वर्षा जल संचयन सिक्रेय रूप से बढावा दिया जाए । 29. जैविक खेती / सिक्रेय रूप से बढावा दिया जाए । 30. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना 31. कृटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं 	23.	S2225	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26. कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। अनुज्ञात कार्यकलाप 27. स्थानीय समुदायों द्वारा लाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन 28. वर्षा जल संचयन 29. जैविक खेती 30. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना 31. कृटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	24.	वायु और यानिक प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
अनुज्ञात कार्यकलाप 27. स्थानीय समुदायों द्वारा लाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन 28. वर्षा जल संचयन 29. जैविक खेती 30. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना 31. कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	25.		
27. स्थानीय समुदायों द्वारा लाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन 28. वर्षा जल संचयन 29. जैविक खेती 30. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना 31. कृटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	26.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27. स्थानीय समुदायों द्वारा लाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन 28. वर्षा जल संचयन 29. जैविक खेती 30. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना 31. कृटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	अनुज्ञात	कार्यकलाप	
29. जैविक खेती , सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। 30. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना 31. कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	27.	रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि,	उनमें से कुछ गतिविधियों का अत्यधिक विस्तार आंचलिव महायोजना के अनुसार विनियमित किया जायेगा।
30. सभी गतिविधियों के लिए हरित सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना 31. कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	28.	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
30. प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना 31. कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	29.	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	30.	No. 10 10 10 10 10 10 10 10	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
<u> २ २ र जे र जा गारीमा विवासिय मौर प्रकाश आदि को बहावा देना होगा।</u>	31.		सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
32. निवाकरणाय ऊजा स्नात की उपयोग जिल्ला तार प्रकार जाप का विकास स्था स्थान स्थान	32.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	जैव गैस, सौर प्रकाश आदि को बढावा देना होगा।

5. मानीटरी सिमिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी सिमिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

	जिला कलक्टर, औरंगाबाद	अध्यक्ष;
(क)		
ৰ)	जिला कलक्टर जलगांव का प्रतिनिध;	सदस्य;
(ग)	जिला परिषद औरंगाबाद का प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	जिला परिषद जलगांव का प्रतिनिध;	सदस्य
(룡)	राजस्व विभाग महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि;	सदस्य
(च)	पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -	सदस्य
(豉)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ	सदस्य

(ज)	प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	<i>3</i> c	सदस्य
(झ)	ज्येष्ठ नगर योजना अधिकारी,	14.01	सदस्य
(ट)	उप वन परिरक्षक वन्यजीव औरंगाबाद प्रभाग	·	सदस्य
(ठ)	उप वन परिरक्षक जलगांव प्रभाग	- syle sylen	सदस्य 1
(ड)	उप वन परिरक्षक औरंगाबाद प्रभाग	38 300 4 308	सदस्य सचिव

निर्देश का निबंधन

- (2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट रथलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना-के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध 4** के साथ संलग्न रूप विधान के अनुसार राज्य मुख्य वन्य जीव वार्डन को उस वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे।

[फा. सं. 25/51/2014-ईएसजेड/आरई]

डॉ. जी. बी सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-ा

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर

ग्राम खरादी का गट न. 58, 1 से 6, 11, 20, 22, ग्राम विश्नुनगर का गट न. 51, 62, 54, 57, 3, 4, 5 ग्राम ओघरे का गट न. 138, 136, 137, 191, 96, 97, 86, 95, 94, 90, 85, 99, 101, 84, 83, 104, ग्राम पटना का गट न. 272, 271, 273, 274, 257, 277, 278, 283, 284, 25, 293, 294, 295, 296, 303, 304, 305, 2, 1, 207, 209, 210, ग्राम वर्ष्थान का गट न. 177, 166 ग्राम घन्दीकावाडी का गट न. 6, 12, 16, 15, 14, 27, 35, 36, 108, 109, 110, 112, 113, 118, 117 ग्राम शिवपुर का गट न. 180, 183, 184, 185, 186, 131, 8,

120, 21, 119, 109, 110, 111, 107, 101, 100, 99, 97, ग्राम बोधरे का गट न. 42, 41, 40, 323, 45, 49, 48, 136, 132, 145, 165, 198, 199, 200, 206, 205, 202, 203, 225, 224, 242, 253, 245, 251, 264, 266, 268, 269 ग्राम तलोदे का गट न. 111, 110, 109, 108, 50, 56, 55, 57, 52, ग्राम पथेरजी का गट न. 81, 80, 87, 26, 27, 29, 28, 32, 15, 14, 13, 153, 147, 144, 143, ग्राम अम्बेहोल का गट न. 92, 93, 94, 164, 131, 132, 152, 1, 2, 34, 38, 63, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 163, 3, ग्राम लोनजे का गट न. 96, 95, 91, 89, 84, 85, 35, 48, 50, 163, 3, ग्राम रोोनोगॉंव का (एन. वी.) गट न. 92, 91, 81, 90, 89, 87, 86,

85, 18, 19, 20, 21, 15, 13, 12, ग्राम बानगाँव का गट न. 26, 25, 23, 22, 21, 13, 14, ग्राम वाधरी का गट न. 37, 38, 39, ग्राम इसाले का गट न. 36, 207, 206, 204, 203, 202, 197, 199, 189, 219, 220, 168, 169,

170, 157 से 162, 231, 152, 150, ग्राम बघाले का गट न. 24, 22, 23, 2, ग्राम कोनगानगर का गट न. 14 से 17, 28, 27 ग्राम जावले का गट न. 81, 82, 79, 55, 56, 59, 60, 43, से 50 ग्राम चमभारदी खुर्द का वन कम्पार्टमेंट न. 315ए, ग्राम जगदी का प्रो बहल का गट न. 112 से 115, 109, 108, 101,

102, 103, 106, 64 से 68 चालीसगाँव का तहसील जलगाँव जिले का जलगाँव वन दिवीजन, ग्राम हसनबाद का गट न 46, 44 ग्राम शिवटनदा का गट न 3, 5, ग्राम सायगवान का गट न 28, 214, 217, 216, 319, 320, 295 से 301, 294, 27, 30, 138, 130, 129, 83, 82, 85, 137, 140, 336, 337, 329, 328,

से 13, 22, 23, 24, 25, 28 से 31, 34, 35, 36, 275, 276, 277, ग्राम बोरमल टनदा का गट न. 63, 62, 27 से 29, 19, 18, ग्राम पनगरा का गट न. 49, 47, 46, 42, 43, 44, 24, 23 ग्राम लोनजा का गट न. 31, 30, 40,

54, 53, 49, 48, 47, ग्राम भोपेवाडी का गट न. 126, 125; 114, 101, 99, 102, 92, 79, 81, 82, 83 जिला औरंगाबाद कान्नद तहसील का औरंगाबाद वन डिवीजन

पूर्व

ग्राम दसतापुर का वन कम्पार्टमेंट न. 451, गट न. वन कम्पार्टमेंट न. 450, ग्राम शिपघाट का वन कम्पार्टमेंट न.455, गट न. 4, 3, 56, 57, 58, 51, 47, 46, 33 से 38, 25, 26, ग्राम नागापुर का गट न. 64, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 53, 54, 55, 46, 39 से 43, 33, 16 से 19, 14, 277 ग्राम वादी विमनापुर का गट न. 17, 24, 23, 22, ग्राम अम्बेगाँव खुर्द का गट न. 41 से 46, 55, 54, 5, 6, 8, ग्राम अम्बेगाँव बदरूक का गट न. 127, 123, 125, 122, 112, 115, 114, 74 से 78, 66, ग्राम सवस्गाँव का गट न. 75, 77, 78, 79, 94 से 96, 132, 150, 151, 152, 149, 9, 13, 140 से 147, 135 से 138, 129, 128, 112, 113, 124,

116, से 118, ग्राम अम्बरखेडा का गट न.48, 49, 50, 53, 52, 63, 65, 51, ग्राम धामनी खुर्द का गट न. 67, 62, 68, 53, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 36, ग्राम नागापुर का गट न. 205, 199, से 203, 195, 185, से 191, 177 से 180, 171 से 174, ग्राम खटखेडा का गट न. 153, 152, 149, 148, 147, 146, 145, 144, वन कम्पार्टमेंट न. 76, ग्राम सखरवेल का गट न. 137, ग्राम वसादी का गट न. 164, 165, 167 से 169, 171, 172, 173, 175, 176, 181, 198, 199, 208, 209, 210, 211, 16, 17, 45, 46, 48, 49, 57, 56, 51, 55, 50, 47, 44, 43, 37, 19, 36, 33, 28, 27, 20, 21, 22, 26, 25, 575, 571, 569, 568, 435, 436, 378, 381, 382, 387, 426, 425, 427, 428, 429, 430, ग्राम मेहगाँव गट न. 258, 12, 13, 264, 10, 82, 73, 75, 78, 279, 86, 88, 109, 106, 108, 134, 139, 95, 282, 203, 212, 187, 186, 184, 181 जिला औरंगाबाद कान्व तहसील का औरंगाबाद वन खिवीजन

दक्षिण

ग्राम इसता का गट न. 78, 79, 82, 83, 30, 36, 43, 38, 37, 26, 27, 25, 23, 22, 1, 379, 358, 361, 354, 353, 327,

326, 324, 316, 312, 310, 311, 318, 308, 319, 320, 306, 302, 301, 300, 297, 298, 299, 244, 245, 248, 249, 252, 253, 231, 230, 221, 222, 224, 225, 226, वन कम्पार्टभेंट न. 64, ग्राम हिवारखेडा खुर्द का वन कम्पार्टभेंट न. 167, गट न. 52 ग्राम कुंजखेडा गट न. 71, 20, 19, 18, 22, 21, 24, 13, 25, 11, 10, 32, 33,

34, 35, 36, 40, 43, 45, 1, 2, 3, 122, 123, 118, ग्राम दोभदी का गट न. 143, 144, 145, 147, 140, 135, 93, 97,

98, 80, 76, 75, ग्राम रिठी का गट न. 15, 17, 37, 36, 49, 45, 44, 43, 41, 95, 94, 87, 82, 81, 80, 77, 78, 79, 64,

65, 63, 55, 56, 57, 58, 61, ग्राम कालद का गट न. 63, 18, 19, 23, 22, 27, 115, 116, 118, 121, ग्राम नरसिंगपुर का 27, 28, ब्रामनी गरदा का गट न. 3, 4, 5, 6, 104, 103, 105, 106, 112, 118, 158, 124, 150, ग्राम हिवारखेडा भौटाला का गट न. 32, 31, 44, 45, 43, 47, अन्धानियर का गट न. 96, 94, 93, 122, 124, 40, 41, 42, 24, ग्राम तेलवाडी का गट न. 61, 60, 49, 48, 47, ग्राम सतकुण्ड तनदा का गट न. 68, 69, 74, 75, 76, 78, 13, 8, 25, 27, 42, 53, 54, 52, 51, 81, 80, 82, 83, 84, 1 ग्राम उपला का गट न. 39 से 43, 50, 35, 34, 33, 67, 68, 142, 147, 146, 191, 189, 187, 184, 183, 186, 185, 156, 157, 158, 177.

178, 179, 180, 181, ग्राम अम्बा का गट न. 63, 54, 53, 52, 50, 49, 47, 55, 44, 43, 42, 40, 41, 39, 78, 79, 80,

77, 76, 84, 231, 232, 233, 235, 242, 243, 241, 240, 252, 258, 225, 238, 236, 229, 228, 227, 226, 223, 88, 87, 12, 10, 14, 104, 108, 107, 106, 120, 126, 130, 131, ग्राम मदवाडी का गट न. 351, 350, 296, 295, 294, ग्राम जमदी घाट का गट न. 56, 54, 53, 41, 42, 43, 44, 33, 34, 35, ग्राम वादिनियर का गट न. 48, 49, 8, 9, 10, 50, ग्राम वादिनियर का तनदा गट न. 75, 76, 77, 1, 2, 3, 127, 128, 130, 131, 132, 133, ग्राम कालन्की का वन कम्पार्टगेंट न. 122, 120, गट न. 189, 188, 177, 176, 175, 174, 173, 166, 165, 1,

12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 27, 30, 29, 28, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 253, 255, 248, 250, 251, 247, 255, 232, 231, 230, 223, 224, 225, 226, 229, ग्राम तनदुलवाडी का वन कम्पार्टमेंट न. 325, ग्राम विवाली का गट न. 45, 44, 36, 37, 38, 2, 3, 5, 9, 18, 19, 20, 21, 25, 22, 23, जिला औरंगाबाद कान्नद तहसील का औरंगाबाद वन डिवीजन। ग्राम गुजरवरी का गट न. 13 से 23 जिला जलगाँव तहसील चालीसगाँव का जलगाँव वन डिवीजन।

18 ग्राम राजदेहरे का वन कम्पार्टमेंट न. 2, 6, 8, और गट न. 17, 20, 65, 67, 62, 59, 57, 56, जिला जलगाँव तहसील चालीसगाँव का जलगाँव वन डिवीजन।

उपाबंध-।।


पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमाओं के निर्देशाँक भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	जिला	तहसील का नाम	गाँवों के नाम
1	2	3	4
			अम्बेगाँव बी के
2			अम्बर्गाव वा क
3			Reconstruction and the second
4			कालदरी
5			भोपेवाडी
б			चिवाली
7			कालनकी
8		1 P	वादनेर तनदा
9			वादनेर
10	1		जमदी घाट
11			अम्बाला
12			अम्बा
13			उपला
14			भम्बरवाडी
15			सथकुण्ड तनदा
16			अन्धानेर
17			कसबे कान्तद
18			हिवरखेडा
19	औरंगाबाद	कान्नद	गवतला
20	आरमाबाद	477.14	ब्रमभानी गरदा
21			रिटी
22			दोभादी
23			कुंजखेंडा
24			मोहारदा
25			हसता
26	_		मेहेगाँव
27			वासदी
28			निमभोरा
29			अम्बरखेडा
30			तपीवन
31			रामपुरवाडी
32		11	मेहुन पुरनवाडी
33			भिलदरी नगद

. 34		T	शिव तनदा
35	-		अम्बरखेडा तनदा
36			अम्बेगाँव के डी
37			साईगवन
38			हसनाबाद
39			वादीचिमनापुर
40			विमनापुर
41			हरसवाड <u>ी</u>
42	_		वादगाँव
43			- कोलापुर
44	-		शिपधाट
45		20	- लोनजा
46	औरंगाबाद	कान्नद	बोरमल तनदा
47			नन्दगिरवाडी
48			यतखेडा
49	D.		पनगरा
50		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	गुजरदरी
51			राजदेहरे
52		*	खरदी
53			विशनुनगर
54			आंधरे
55			पटना
56			चन्दिका वाडी
57			शिवपुर
58	The second second		जुनुने
59			बोधरे
60	- जलगाँव	वालिसगाँव	तालीई
61			पथराजे
62			अम्बेहोल
63		9	लोनर्ज
64			सोनगाँव
65			बनगाँव
66			हत्तले
67			वघाले
68			कोनगानगर
69	-		जवाले
70	-		जमदी

उपाबंध – III

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-4

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा- पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
- 3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश। ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश।
- 6. ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा !
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2015

S.O. 1558(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary is situated in Aurangabad and Jalgaon Districts of Maharashtra between 200 14' 00" to 200 27' 29.787" North Latitude & 740 53' 30.782" to 750 16' 40" East Longitude and extends over an area of 260.61 square kilometers;

AND WHEREAS, the Gautala Wildlife Sanctuary is an important conservation unit in Aurangabad and Nashik region of Maharashtra State and harbours more than 30 species of mammal including schedule I species like Wolf, Panther, Sloth bear, Black buck, four horned Antelope, more than 210 species of birds including 20 species of migratory status and a variety of reptiles, amphibians, fishes etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary as Ecosensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and process in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of

up to one kilometer from the boundary of Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- 1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 448.45 square kilometre with an extent of up to one kilometer from the boundary of Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary and the boundary description of the such Zone is given in Annexure I.
- (2) The Eco-sensitive Zone is spread across 70 Villages in Aurangabad and Jalgaon Districts in Maharashtrà.
- (3) The list of the Villages falling within Eco-sensitive Zone is appended as Annexure II.
- (4) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as Annexure III.
- 2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
 - (i) Environment,
 - (ii) Forest,
 - (iii) Urban Development,
 - (iv) Tourism,
 - (v) Municipal,
 - (vi) Revenue,
 - (vii) Agriculture
 - (ix) Maharashtra State Pollution Control Board,
 - (x) Irrigation
 - (xi) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, Village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- 3. Measures to be taken by State Government.-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads,
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including Village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural Springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.
 - (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural Heritage.** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rule made thereunder.
- (7) Air pollution.- The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in

accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rule made thereunder.
 - (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time:
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
 - (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- (11) Vehicular traffic. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

(12) Industrial Units

- (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.
- (b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Ecosensitive zone shall be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks	
(1)	(2)	(3)	
Prohib	ited Activities		
1.	Commercial Mining. stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.	
		(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.	
2.	Setting up of saw mills.	54	
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.	
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	

*					
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.		d (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (e	bited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	,	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sens Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law			
Regula	ated Activities				
10.	Establishment of hotels and resorts.		No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.		
. 11	Construction activities		(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3, (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan		
12.	Felling of trees.		(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government;(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.(c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.		
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.		 (a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for bona fide agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture. 		
14.	Erection of election and telecontowers.	trical cables mmunication	(i) Promote underground cabling		
. 15.	Fencing of exist of hotels and lodg		Regulated under applicable laws.		
16.	Widening and strengthening of existing roads		Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.		

17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
2.4	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
25	Use of polythene bags by shopkeepers	Regulated under applicable laws.
26	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Permit	ted Activities	
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per, master plan.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including Village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee:-

- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-
 - (i) District Collector, Aurangabad- Chairman;
 - (ii) representative of District Collector, Jalgaon Member;
 - (iii) representative of Zilla Parishad, Aurangabad Member;
 - (iv) representative of Zilla Parishad, Jalgaon Member;
 - (v) representative of Department of Revenue, Government of Maharashtra Member
 - (iv) a representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case Member;
 - (v) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case- Member;
 - (vi) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Member;
 - (vi) Senior Town Planning Officer Member;
 - (vii) Deputy Conservator of Forests, Wildlife Aurangabad Division Member;

- (viii) Deputy Conservator of Forests, Jalgaon Division Member;
- (ix) Deputy Conservator of Forests, Aurangabad Division Member Secretary

Terms of Reference:

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests Number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests Number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at Annexure IV.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of the notification.
- 7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/51/2014-ESZ-RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Annexure I

Description of Boundaries of proposed ESZ

North	Village Kharadi's Gat No. 58, 1 to 6, 11, 20, 22, Village Vishnunagar's Gat No. 51 62, , 54, 57, 3, 4, 5 Village
1101 111	Odhre's Gat No.138, 136 137, 191, 96, 97, 86, 95, 94, 90, 85, 99, 101, 84, 83, 104, Village Patna's Gat
	No. 272, 271, 273, 274, 257, 277, 278, 283, 284, 25, 293, 294, 295, 296, 303, 304, 305, 2, 1, 207, 209, 210,
	Village Varthan's Gat No. 177, 166 Village Chandikawadi's Gat No. 6, 12, 16, 15, 14, 27, 35, 36, 108, 109,
	110, 112, 113, 118, 117 Village Shivpur's Gat No. 180, 183, 184, 185, 186, 131, 8, 120, 21, 119, 109, 110,
	111, 107, 101, 100, 99, 97, Village Village Bodhre's Gat No. 42, 41, 40, 323, 45, 49, 48, 136, 132, 145, 165,
	198, 199, 200, 206, 205, 202, 203, 225, 224, 242, 244, 253, 245, 251, 264, 266, 268, , 269 Village
	Talode's Gat No. 111, 110, 109, 108, 50, 56, 55, 57, 52 Village Patherje's Gat No. 81, 80, 87, 26, 27, 29, 28,
	32, 15, 14, 13, 153, 147, 144, 143, Village Ambehol's Gat No. 92, 93, 94, 164, 131, 132, 152, 1, 2, 34, 38,
	63, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 163, 3, Village Lonje's Gat No. 96, 95, 91, 89, 84, 85, 35, 48, 50, 163, 3,
	Village Sonagaon's (N.V.) Gat No. 92, 91, 81, 90, 89, 87, 86, 85, 18, 19, 20, 21, 15, 13, 12, Village
	Bangaon's Gat No. 26, 25, 23, 22, 21, 13, 14, Village Waghri's Gat No. 37, 38, 39, Village Hatale's Gat
	No. 36, 207, 206, 204, 203, 202, 197, 199, 189, 219, 220, 168, 169, 170, 157 to 162, 231, 152, 150, Village
	Waghale's Gat No. 24, 22, 23, 2 Village Konganagar's Gat No. 14 to 17 28, 27 Village Jawle's Gat
	No. 81, 82, 79, 55, 56, 59, 60, 43 to 50 Village Chambhardi Khurd's Forest Comptt. No. 315A, Village
	Jamdi's Pr. Bahal's Gat No. 112 to115, 109, 108, 101, 102, 103, 106, 64 to 68, of Tahsil Chalisgaon. Jalgaon
	Dist. Jalgaon Forest Division. Village Vadgaon Jahagir's Gat No. 24, 21, 22, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 45, 44, 26,
	25, Village Hasnbad's Gat No. 46, 44, Village Shivtanda's Gat No. 3, 5, Village Saygavan's Gat No. 28,
	214, 217, 216, 319, 320, 295 to 301, 294, 27, 30, 138, 130, 129, 83, 82, 85, 137, 140, 336, 337, 329, 328, 10

	to 13, 22, 23, 24, 25, 28 to 31, 34, 35, 36, 275, 276, 277, Village Bormal tanda's Gat No. 63, 62, 27 to 29, 19, 18, Village Pangra's Gat No. 49, 47, 46, 42, 43, 44, 24, 23, Village Lonza's Gat No. 31, 30, 40, 54, 53, 49, 48, 47, Village Bhopewadi's Gat No. 126, 125, 114, 101, 99, 102, 92, 79, 81, 82, 83, of Tahsil Kannad Dist Aurangabad Aurangabad Forest Division.
East	Village Dastapur's Forest Comptt. No. 451, Gat No. Forest Comptt. No. 450, Village Shipghat's Forest Comptt. No. 455, Gat No. 4, 3, 56, 57, 58, 51, 47, 46, 33 to 38, 25, 26, Village Nagapur's Gat No. 64, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 53, 54, 55, 46, 39 to 43, 33, 16 to 19, 14, 277, Village Wadi Chimnapur's Gat No. 17, 24, 23, 22, Village Ambegaon Khurd's Gat No. 41 to 46, 55, 54, 5, 6, 8, Village Ambegaon Budruk's Gat No. 127, 123, 125, 122, 112, 115, 114, 74 to 78, 66, Village Sawargaon's Gat No. 75, 77, 78, 79, 94 to 96, 132, 150, 151, 152, 149, 9, 13, 140 to 147, 135 to 138, 129, 128, 112, 113, 124, 116 to 118, Village Umbarkheda's Gat No. 48, 49, 50, 53, 52, 63, 65, 51, Village Dhamni Khurd's Gat No. 67, 62, 68, 53, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 36 Village Nagapur's Gat No. 205, 199 to 203, 195, 185 to 191, 177 to 180, 171 to 174, Village Khatkheda's Gat No. 153, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, Forest comptt. No. 76, Village Sakharvel's Gat No. 137, Village Wasadi's Gat No. 164, 165, 167 to 169, 171, 172, 173, 175, 176, 181, 198, 199, 208, 209, 210, 211, 16, 17, 45, 46, 48, 49, 57, 56, 51, 55, 50, 47, 44, 43, 37, 19, 36, 33, 28, 27, 20, 21, 22, 26, 25, 575, 571, 569, 568, 435, 436, 378, 381, 382, 387, 426, 425, 427, 428, 429, 430, Village Mehgaon's Gat No. 258, 12, 13, 264, 10, 82, 73, 75, 78, 279, 86, 88, 109, 106, 108, 134, 139, 95, 282, 203, 212, 187, 186, 184, 181 of Tahsil Kannad Dist. Aurangbad, Aurangabad Forest Division.
South	Village Hasta's Gat No. 78, 79, 82, 83, 30, 36, 43, 38, 37, 26, 27, 25, 23, 22, 1, 379, 358, 361, 354, 353, 327, 326, 324, 316, 312, 310, 311, 318, 308, 319, 320, 306, 302, 301, 300, 297, 298, 299, 244, 245, 248, 249, 252, 253, 231, 230, 221, 222, 224, 225, 226, Forest Comptt. No. 64, Village Hiwarkheda Khurd's Forest Comptt. No. 167, GAt No. 52 Village Kunjkheda's Gat No. 71, 20, 19, 18, 22, 21, 24, 13, 25, 11, 10, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 45, 1, 2, 3, 122, 123, 118, Village Dobhadi's Gat No. 143, 144, 145, 147, 140, 135, 93, 97, 98, 80, 76, 75, Village Rithhi's Gat No. 15, 17, 37, 36, 49, 45, 44, 43, 41, 95, 94, 87, 82, 81, 80, 77, 78, 79, 64, 65, 63, 55, 56, 57, 58, 61, Village Kannad's Gat No. 63, 18, 19, 23, 22, 27, 115, 116, 118, 121, Village Narsingpur's 27, 28, Village Bhramni Garada's Gat No. 3, 4, 5, 6, 104, 103, 105, 106, 112, 118, 158, 124, 150, Village Hiwarkheda Gautala's Gat No. 32, 31, 44, 45, 43, 47, Village Andhanear's Gat No. 96, 94, 93, 122, 124, 40, 41, 42, 24, Village Telwadi's Gat No. 61, 60, 49, 48, 47 Village Satkund Tanda's Gat No. 68, 69, 74, 75, 76, 78, 13, 8, 25, 27, 42, 53, 54, 52, 51, 81, 80, 82, 83, 84, 1 Village Upla's Gat No. 39 to 43, 50, 35, 34, 33, 67, 68, 142, 147, 146, 191, 189, 187, 185, 184, 183, 186, 185, 156, 157, 158, 177, 178, 179, 180, 181, Village Amba's Gat No. 63, 54, 53, 52, 50, 49, 47, 55, 44, 43, 42, 40, 41, 39, 78, 79, 80, 77, 76, 84, 231, 232, 233, 235, 242, 243, 241, 240, 252, 258, 225, 238, 236, 229, 228, 227, 226, 22388, 87, 12, 10, 14, 104, 108, 107, 106, 120, 126, 130, 131, Village Mudwadi's Gat No. 351, 350, 296, 295, 294, Village Jamdi Ghat's Gat No. 56, 54, 53, 41, 42, 43, 44, 33, 34, 35, Village Wadnear's Gat No. 48, 49, 8, 9, 10, 50, Village Wadnear's Tanda Gat No. 75, 76, 77, 1, 2, 3, 127, 128, 130, 131, 132, 133, Village Kalanki's Forest Comptt. No. 122, 120, Gat No. 189, 188, 177, 176, 175, 174, 173, 166, 165, 1, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 27, 30, 29, 28, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 253, 255, 248, 250, 251, 247, 255, 232, 231, 230, 223, 224,
West	Village Rajdehre's Forest Comptt. No. 2, 6, 8 & Gat No. 17, 20, 65, , 67, , 62, , 59, 57, 56, of Tahsil Chalisgaon of Jalgaon Forest Division Dist. Jalgaon.

Annexure II


List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

Sl. No.	Distt.	Tahsil Name	Name of Villages
1	2	3	4
2	52		Ambegaon Bk
3			Sawargaon
4			Kaldari
5			Bhopewadi
6			Chiwali
7	Aurangabad		kalanki
8		Kannad	Wadner tanda
9			wadner
10			Jamdi Ghat
11			Ambala
12	Name of the second seco		Amba
13			Upla
14			Bhambarwadi
15			Sathkund tanda

16			Andhaner
17		7	Kasabe Kannad
18			Hiwarkheda
19	7	7.0	Gavtala
20	1		Brambhani Garda
21	1		Rithi
22	1		Dobhadi
23	1		Kunjkheda
24	1		Moharda
25			Hasta
26			
27	-		Mehegaon
	-	1 N	Wasdi
28	-	8	Nimbhora
29		80	Umbharkheda
30			Tapowan
31			Rampurwadi
32	45	*	Mehun Purnwadi
33	1		Bhildari Nagad
34	15		Shiv Tanda
35		15	Umbharkheda tanda
36	,		Ambegoan Kd
37	-		Saigavan
38			Hasnabad
. 39	**		Wadichimnapur
40			Chimnapur
41			Harswadi
42	B#		Wadgaon
43	fi ar		Kholapur
44	Auranashad		Shipghat
45	Aurangabad	V	Lonza
46		Kannad	Bormal tanda
47			Nandgirwadi
48			Khatkheda
49			Pangra
50	6		Gujardari
51			Rajdehare
52	2 P		Kharadi
53		, a	Vishnunagar
54		*	Odhare
55	20		Patna
56			Chandika wadi
57			Shivapur
58		į.	Junune
59	15		Bodhare
60	T-1	CI 1	Talode
61	Jalgaon	Chalisgaon	
62	,		Pathraje
63			Ambehol
64			Lonje
65			Songaon
			Bangaon
66			Hatale
67	l'i	10 All 10	Vaghale
68	=		Konganagar
60	1	6	Jawale
69			
70			Jamdi Total

Annexure III

Map of proposed Eco-sensitive Zone along with coordinates



Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- Number and date of Meetings.
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
- Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
- Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
- Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.